राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,जयपुर

:: आदेश ::

(कैम्प–जोधपुर)

परिवाद संख्या– 23/17/ **दिनांक–02.09.2023**

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण व्यास

राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के प्रतापगढ संस्करण में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि ''**शर्मनाक.......विवाहिता को निर्वस्त्र कर घुमाया–धारियावद के एक गांव का मामला वीडियो वायरल,08 आरोपी चिन्हित।** ''

समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि धरियावद् क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को विवाहिता को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो शुक्रवार को वायरल हो गया। एक साल पूर्व एक महिला का विवाह हुआ था। उसके बाद महिला कहीं और नाते चली गई। इससे नाराज पति समेत ससुराल वाले गांव में पहुंचे और घर से महिला को बाहर निकाल कर निर्वस्त्र कर दिया। उसके बाद उसे गांव में घुमाया गया। इस दौरान तमाशबीन के रूप में लोग देखते रहे। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। यह समाचार ह्दय को आघात पहुचाने वाला है एवं घोर अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। चूंकि मौजूदा मामले में विवाहिता को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला आयोग के संज्ञान में आया है। अतः इस गंभीर मामले पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज किया जावे।

इस **आदेश की प्रतिलिपि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह प्रतिकर नीति 2011 के तहत क्षतिपूर्ति हेतु पीडिता का प्रकरण जिला विधिक सहायता समिति, प्रतापगढ को प्रेषित करें जिससे पीडिता को तुरंत आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके तथा इस प्रकरण के संबंध में गहनता से जांच करवाकर जांच रिपोर्ट मय सम्पूर्ण दस्तावेज किसी विज्ञ अधिकारी के साथ आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

प्रकरण में **तत्काल नोटिस** जारी किया जावे एवं आदेश आज ही जरिये **फैक्स एवं ईमेल** संबंधित को प्रेषित की जावे।

पत्रावली दिनांक 14 सितम्बर, 2023 को पेश हो।

-Sd-

(जस्टिस जी.के. व्यास)
अध्यक्ष

RJ

धरियावद के एक गांव का मामला...वीडियो वायरल, 8 आरोपी चिह्नित

शर्मनाक...विवाहिता को निर्वस्त्र कर घुमाया

प्रतापगढ़ @ पत्रिका . धरियावद क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को विवाहिता को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो शुक्रवार को वायरल होने पर पुलिस व प्रशासन हरकत में आ गया।

एक साल पूर्व एक महिला का विवाह हुआ था। उसके बाद महिला कहीं और नाते चली गई। इससे नाराज पति समेत ससुराल वाले गांव में पहुंचे और घर से महिला को बाहर निकाल कर निर्वस्त्र कर दिया। उसके बाद उसे गांव में घुमाया गया। इस दौरान तमाशबीन के रूप में लोग देखते रहे। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों से घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को नामजद कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

सीएम ने की निंदा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलवाई जाएगी।

डीजीपी उमेश मिश्रा ने घटना पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन शुक्रवार रात को प्रतापगढ़ रवाना हो गए हैं। वहीं पुलिस ने 8 आरोपियों को चिह्नित कर लिया है।